न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :— श्री हरफूलसिह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :—206 / 2024
जी.सी.एम.एस नंबर :— 2024 / 206

अपीलाण्ट :—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
1. बलवंतसिह पुत्र भोमसिह जाति राजपूत निवासी वणधर तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार,रानीवाडा जिला सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 46 / 2019 निर्णय दिनांक 08.09.2020

उपस्थिति :—
1. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।
2.

:: **निर्णय** ::

दिनांकः— 29/8/2024

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 46 / 2019 में निर्णय दिनांक 8.09.2020 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

3. बहस वकील अपीलाण्ट की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता वकील अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन व निवेदन किया कि _तहसीलदार रानीवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10[illegible] व अपील न्यायालय का आदेश दिनांक 08.09.2020 कानूनी व वाक्यात के विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

29/8

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

तहसीलदार (भू.अ.) जालोर द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो गलत है। तहसीलदार (भू.अ.) जालोर ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट के अधिकारों पर गौर तक नहीं किया जो कानून व वाक्यात के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2019 व दिनांक 08.09.2020 को निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट व उसके लडको का उक्त स्थान पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से पुश्तैनी रूप से निवास है। इसकी पुष्टि में संवत 2035 की खसरा परिवर्तनशील नकल से होती है। वर्तमान में खसरा नम्बर 536 के पुराने खसरा नम्बर 240 थे। पुराने खसरा नम्बर 240 में संवत 2035 में अपीलाण्ट बलवंतसिंह के नाम उक्त भूमि खसरा परिवर्तनशील में दर्ज है, लेकिन अधिनस्थ अदालत ने इस दस्तावेज व तथ्य के संबंध में अपने निर्णय में कोई उल्लेख न कर कानूनी व वाक्याती भारी भूल की है।

अधिनस्थ अदालत ने दोनो पक्षकारो से किसी भी प्रकार से साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की गई बल्कि मात्र झुठी कागजी कार्यवाही के आधार पर निर्णय देने में कानूनी व वाक्यती भारी भूल की है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट की किसी भी प्रकार की साक्ष्य नही लेने से पक्षकारो को जिरह व सुनवाई का समूचित अवसर नही मिला तथा अपने बचाव में साक्ष्य पेश करने का भी अवसर नही मिला है, जिससे अपीलाण्ट के सुनवाई के मौलिक अधिकारो का हनन हुआ है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी की रिपोर्ट को साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाया। इस आधार पर भी आदेश दिनांक 30.10.2019 व अपील न्यायालय का आदेश दिनांक 08.09.2020 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट ने उक्त स्थान पर बिजली का कनेक्शन ले रखा है तथा पक्का निर्माण कर लाखो रूपये खर्च किए हुऐ है तथा अपीलाण्ट का परिवार किसान परिवार है जिससे अपने अनाज भण्डारण हेतु कमरे बना रखे है, लेकिन अधिनस्थ अदालत ने इस तथ्य पर गौर किए बिना निर्णय देने में कानूनी व वाक्याती भारी भूल की है। उक्त विवादित आराजी नियमन योग्य आराजी है।

खसरा नम्बर 536 में मौके पर पूर्ण रूप से आबादी बस चुकी है तथा पूरी विकसित कॉलोनी है तथा चारो तरफ ग्राम पंचायत ने सरकारी खर्च पर सी.सी. रोड बनवाई हुई है तथा [illegible] योजना में इन्दिरा आवास के मकानात बने हुऐ है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस [illegible] व सबूतो पर गौर किए बिना निर्णय देने में कानूनी व [illegible] भारी [illegible] की [illegible]

अपीलाण्ट व उनके लडको ने [illegible] कलेक्टर जालोर व तहसीलदार रानीवाडा के विरूद्ध सिविल न्यायाधीश रानीवाडा में एक दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया हुआ है जो अभी [illegible]चाराधीन है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भीनमाल में लम्बित है। इस प्रकार सिविल न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते उन्हे बिना विधिक प्रकिया के

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

6/4/2018

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

बेदखल नही किया जा सकता है लेकिन अधिनस्थ अदालत ने इस तथ्य पर गौर किए बिना निर्णय देने में कानूनी व वाक्याती भूल की है।

अतिक्रमण पर फाईन्डिग/निष्कर्ष देने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। किसी सिविल बिन्दु पर विवाद हो तो उस बिन्दु को तय करने हेतु सिविल कोर्ट में प्रकरण को रेफर करना चाहिये था। जिससे अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2020 को निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार रानीवाडा ने आदेश दिनांक 30.10.2019 को पारित करने में काफी तत्परता बरती। षडयन्त्र रचकर अपीलाण्ट के अधिकारों को समाप्त नही किया जा सकता। अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.09.2020 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट विवादित आराजी में कानूनन अधिकारी है। जिससे कब्जे की उपधारणा अपीलाण्ट के हक में है। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित किया यह है।

अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) जालोर का आदेश दिनांक 30.10.2019 व जिला कलेक्टर जालोर का आदेश दिनांक 08.09.2020 को निरस्त करने का आदेश प्रदान करावें। अन्य कोई उचित आदेश जो अपीलाण्ट के हक में हो अता फरमावे।

5. रेस्पोडेन्ट सरकारी पैरोकार ने अधिनस्थ न्यायालय में अभिकथन किया कि विवादित आराजी प्रथम सेटलमेंट से ही सरकारी भूमि रही है। उक्त आराजी पर प्रथम सेटलमेंट से आज तक अपीलांट का निरंतर कब्जा व मकान रहा हो इसके समर्थन में अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि तहसीलदार रानीवाडा द्वारा धारा 91 की कार्यवाही के दौरान दोनो पक्षो के साक्ष्य लेकर साक्ष्यो से जिरह करने का अवसर नही दिया गया है। जबकि इस प्रकार के साक्ष्य केवल मात्र राजस्व वादो में ही ले जाने के प्रावधान है। धारा 91 की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही है। जिसमें राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करते हुये बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट अतिक्रमी पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारीज फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने उपस्थित वकील अपीलाण्ट की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजा वणधर के नये खसरा नम्बर 536 की खसरा परिवर्तनशील की नकल संवत 2035 व पुराने खसरा नम्बर 240 की खसरा परिवर्तनशील की फोटोकॉपी व मौजा वणधर के नये खसरा नम्बर 536 से परिवर्तित पुराने खसरा नम्बर का मिलान क्षैत्रफल की फोटोकॉपी व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

वकील अपीलांट के कथनानुसार 50 वर्ष पुराने कब्जा है। राज्य सरकार के परिपत्रानुसार नियमन योग्य होने अथवा नही होने का परीक्षण करवाकर एवं भूमि धारा 16 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 प्रतिबंधित श्रेणी की नही होने पर पुनः निर्णय पारीत करे। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रचलित विधि के आलोक में पुर्नवलोकनीय है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 46/2019 दिनांक 08.09.2020 एवं न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा के मु.न. 27/2018 दिनांक 30.10.2019 को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, रानीवाडा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पारित करै। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 29/8/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.10.08 14:49:10 IST
Reason: SelfAttested